

34.8 पेट्रोल डीजल पंप का पुनः सत्यापन कराने के संबंध में आवेदन
(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)

चरण-1	आवेदन कब करें ? पेट्रोल डीजल पंप को पुनः सत्यापित कराना हो।
चरण-2	आवेदन कौन कर सकता है ? पेट्रोल डीजल पंप का पुनः सत्यापन कराने वाले व्यक्ति।
चरण-3	अ- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें) <ol style="list-style-type: none">1. पूर्व में जारी सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति। (वैकल्पिक)2. प्रस्तुत किये जा रहे उपकरण में यदि सुधार कार्य करवाया गया है तो संबंधित टेक्नीशियन की रिपोर्ट। (वैकल्पिक)
चरण-4	आवेदन के साथ शुल्क ? आवेदन के साथ मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची – आठ में निर्धारित शुल्क।
चरण-5	शुल्क कैसे जमा करें ? आनलाईन आवेदन करते समय उपलब्ध लिंक से।
चरण-6	आवेदन कैसे करें ? ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक ----- http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से
चरण-7	अनुमोदन की समय-सीमा ? ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में – पेट्रोल डीजल पंप का पुनः सत्यापन - 15 कार्य दिवस के अंदर
चरण-8	सत्यापन प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करेगा ? STEP-1 : http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें STEP-2 : इसके पश्चात पंजीकृत आवेदन खोजें पर Click करें STEP-3 : Show / File Movement के नीचे View पर Click करें STEP-4 : File के नीचे View पर Click करें STEP-5 : Correspondance के आखिरी नंबर को Click करें

चरण-9	<p>अपीलीय अधिकारी:-</p> <p>संबंधित उप / सहायक नियंत्रक नाप-तौल</p> <p>अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा।</p>
चरण-10	<p>डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:-</p> <p>STEP-1 : http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें</p> <p>STEP-2 : डिजीटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जांचे पर Click करें</p>

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक :- 34.8

आवेदक द्वारा नाप-तौल उपकरणों के पुनः सत्यापन पेट्रोल / डीजल पंप हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), विभाग द्वारा परीक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट :-

